न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 71/2019
GCMS No. : 2019/00222

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. मदनलाल पुत्र भीखाराम प्रजापत मैसर्स भैरूजी किराणा पुराना हीरो मोटर साईकल शोरूम के पास रणकपुर रोड, सादडी जिला पाली 2. शंकरलाल माली पुत्र पुखराज मैसर्स महावीर एजेन्सी, आखरिया चौक, सादडी जिला पाली 3. आसकरण, मैसर्स ए एस ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंहजी की प्याउ, माता का थान रोड, जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. स्वयं
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 05.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 30.11.2018 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स भैरूजी किराणा पुराना हीरो मोटर साईकल शोरूम के पास, रणकपुर रोड, सादडी जिला पाली पर गए। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला तथा वहां पर वनस्पति (ब्राण्ड सारस) ब्रिकी करते हुए पाया, वहां पर लगभग 24 पैकेट वनस्पति (ब्राण्ड सारस) के रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक में एक लीटर वनस्पति है, जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर रूबरू गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर तैयार किया गया। उक्त वनस्पति में से 4 मूल पैकेट वनस्पति (ब्राण्ड सारस) वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा वनस्पति को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–859 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./981/एक्ट/2018/33 दिनांक 10.01.2019 में प्रार्थी द्वारा लिया गया वनस्पति (ब्राण्ड सारस) को Sub Standrad does not conform पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad does not conform वनस्पति (ब्राण्ड सारस) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.11.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर गया तो, वहां पर मदनलाल पुत्र भीखाराम प्रजापत (विक्रेता) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2018 को अप्रार्थी की फर्म में बेचाण हेतु रखे हुए वनस्पति (ब्राण्ड सारस) के चार पैकेट को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–859 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल. एस./981/एक्ट/2018/33 दिनांक 10.01.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–859 को "The sample of Vanaspati (Saaras cooking medium brand) bearing Code No. and Sr. No. R-859 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011." का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2019/1012 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवाए जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा वनस्पति (ब्राण्ड सारस) जो जॉच में Sub-Standard पाये गये है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub Standrad खाद्य वस्तु वनस्पति (ब्राण्ड सारस) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 2 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 3 पर 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये मात्र कुल 2,50,000/– अक्षरे दो लाख पच्चास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली